न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 408/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मोहम्मद अली पुत्र खमीशा जाति मुसलमान निवासी देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर		1– बक्सा पुत्र अहमद 2– मुराद पुत्र गागन 3– सरीफा पुत्र गागन 4– राजी पुत्र गागन 5– नसीर पुत्र अलाबचाया 6– लालु पुत्र अलाबचाया 7– खालकना पुत्र अलाबचाया 8– अदरमान पुत्र अलाबचाया 9– अरबाब पुत्र अलाबचाया 10–खानु पुत्र अलाबचाया 11–मोहम्मद पुत्र अलाबचाया 12–नवाब पुत्र अलाबचाया 13–हासम पुत्र नुर मोहम्मद 14–सुमार पुत्र हाजी रसीद 15–घीसु पुत्र हाजी रसीद 16–ऐलियास पुत्र हाजी रसीद सभी जाति सिंधी मुसलमान निवासीगण गुजरी (रतरेडी) तहसील शिव जिला बाडमेर 17–सरपंच ग्राम पंचायत गिराब तहसील शिव जिला बाडमेर 18–मोहम्मद एलियास पुत्र मजीद खान जाति मुसलमान निवासी तिंवरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर 19–अब्दुला पुत्र आहमद जाति मुसलमान निवासी जीणे की बस्ती, तहसील शिव हाल गडरारोड जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–3–2013 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 21/2010 अनवान मोहम्मद अली बनाम बक्सा वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बरकतखां मेहर/सलीमखां अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–रेस्पो0 संख्या 1 से 18 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
3– रेस्पो0 संख्या 19 के अधिवक्ता अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 19–1–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा जीणे की बस्ती तहसील शिव जिला बाडमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 132 रकबा 455 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 1 बक्सा का 1/5 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 2 से 5 का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 14 से 16 का भी 1/5 हिस्सा था तथा उक्त हिस्से

अनुसार सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 संख्या 1 बक्सा ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांट को करना तय किया तथा रेस्पो0 संख्या 1 बक्सा ने अपने हिस्से की राशि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 8–7–2010 को सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अपीलांट को कर दी तथा बेचान दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय गडरा रोड मे करवाया । उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 246 दिनांक 9–7–2010 को पटवारी हल्का ने अपीलांट के पक्ष मे भरकर पेश किया जिस पर सरपंच गाम पंचायत गिराब ने अपीलाधीन म्युटेशन को इस आधार पर खारीज कर दिया कि अपीलांट (खरीददार) ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित नही हुआ । ग्राम पंचायत गिराब द्वारा म्युटेशन पर पारित अस्वीकृति आदेश दिनांक 20–7–2010 के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–3–2013 के द्वारा "विवादित आराजी राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र मे स्थित है इसलिए इस क्षेत्र मे भूमि के हस्तांतरण बेचान, रहन पर प्रतिबंध है इसलिए अपीलांट की अपील को अस्वीकार कर खारीज कर दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 से 18 बावजुद तामिल के अनुपस्थित तथा रेस्पो0 संख्या 19 की ओर से अधिवक्ता का वकालातनामा अवश्य पत्रावली मे नत्थी है परंतु इस न्यायालय हाजा मे पत्रावली सीनांतरित होकर प्राप्त होने के बाद रेस्पो0 संख्या 19 के अधिवक्ता को तारीख पेशियो पर आवाजे दिलवाई जाने के बावजुद अनुपस्थित रहे । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी ओर से लिखित बहस दिनांक 3–1–2018 बहस पेश की जो पत्रावली मे नत्थी है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपीलाधीन भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 1 बक्सा का 1/5 हिस्सा अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के कय किया है तथा उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे पटवारी हल्का ने म्युटेशन संख्या 246 भरकर पेश किया जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख हरसानी ने जांच कर उसे सही व सत्य होना माना तथा ग्राम पंचायत गिराब के समक्ष स्वीकृति हेतु पेश किया परंतु ग्राम पंचायत गिराब ने उक्त नामांतरकरण को इस आधार पर खारीज कर दिया कि अपीलांट ग्राम पंचायत की मिटिंग मे उपस्थित नही हुआ । ग्राम पंचायत को केवल क्रेता के मिटिंग मे उपस्थित नही होने से बेचान के आधार पर भरे गये नामांतरकरण को खारीज करने का कोई कानूनन अधिकार नही था ।

चकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम पंचायत गिराब द्वारा नामांतरकरण संख्या 246 पर पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को सरसरी तौर पर बिना किसी कारण एवं आधार पर निर्णय मे केवल यह उल्लेख करते हुए कि विवादित भूमि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र मे स्थित होने से खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो

पूर्णतया गैर कानूनी आदेश होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे किसी भी कानून अथवा नियम का उल्लेख नही होने से पारित किया गया निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि विधिवत पंजीबद्ध बेचाननामे से खरीद की है तथा उक्त खरीदसुदा भूमि पर अपीलांट अपनी रहवासीय ढाणी बनाकर रह रहा है तथा अपीलाधीन भूमि राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र की वन भूमि नही है बल्कि अन्य सहखातेदारो की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है जिनका वे उपयोग व उपभोग करते आ रहे है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि को विधिवत रूप से क्रय कर बेचाननामा संबंधित उप पंजीयक से पंजीकृत करवाया है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के क्षेत्र मे बेचान हस्तांतरण पर राज्य सरकार का कोई प्रतिबंध नही है यदि प्रतिबंध होता तो अपीलाधीन भूमि के संबंध मे बेचान नामा पंजीकृत ही नही किया जाता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे जो विवेचन देते हुए अपीलांट की अपील को खारीज करने बाबत पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे बेचाननामा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार स्वीकृत कर पजीकृत किया जा चुका है तो उक्त बेचान को जब तक निरस्त नही करवा दिया जाता है तब तक पंजीबद्ध बेचान के आधार पर भरे गये नामांतरकरण को निरस्त करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही था तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी अपीलांट की अपील को खारीज करने का कोई अधिकार नही होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–3–2013 को निरस्त करने तथा अपीलांट की खरीदसुदा खातेदारी का म्युटेशन संख्या 246 को स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

हमने वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 246 ग्राम जीणे की बस्ती पटवार हल्का डामड का अवलोकन किया, उक्त नामांतरकरण पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर क्रेता के पक्ष मे भरा जाकर स्वीकृति हेतु गाम पंचायत गिराब की बैठक मे रखा गया परंतु ग्राम पंचायत की बैठक मे उक्त नामांतरकरण पर चर्चा कर मौखिक व लिखित आपत्तियां प्राप्त होने पर सर्वसम्मति से खारीज किया गया था । उक्त नामांतरकरण संख्या 246 पर ग्राम पंचायत गिराब द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे म्युटेशन मे उल्लेखित विवादित आराजी राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र मे स्थित होने तथा इस क्षेत्र मे भूमि के हस्तांतरण, बेचान, रहन पर प्रतिबंध होने का उल्लेख करते हुए अपीलांट की अपील को खारीज किया है, ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–3–2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर